JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Minutes of the 70th meeting of the Traffic Control Board held on 20.07.12

The 70th Traffic Control Board meeting was held under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 20th July, 2012 at 11.00 AM in Manthan Conference Hall of JDA.

List of Officers attended the meeting is as per Annexure 'A'.

Item No.	Agenda Item	Decisions
(i)	Confirmation of minutes of the 69th TCB Meeting held on 12.03.12	Proceeding of the 69th TCB meeting held on 12.03.2012 was confirmed.
(ii)	Compliance report on decisions taken in 69th TCB meeting.	Compliance reported on decisions taken in last TCB meeting held on 12.03.2012 were reviewed by the board.
70.1	अपर परिवहन आयुक्त (सडक सुरक्षा) से प्राप्त एजेण्डे के क्रम मे।	बोर्ड के समक्ष एजेण्डा रखा गया। पुलिस उपायुक्त (यातायात) जयपुर द्वारा स्टेट रोड सैफ्टी कौसिंल की चतुर्थ बैठक के समक्ष जो प्रस्ताव / कार्य योजना प्रस्तावित की गई थी इसमे कई कार्य लघुकालीन है, एवं कई दीर्घकालीन है। इनमे कुछ कार्यो मे हेतु भूमि उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम इन कार्यो का वर्गीकरण किया जाये तथा जो कार्य बिना किसी बाधा के हो सके, उन्हे पुलिस उपायुक्त (यातायात)के साथ मिलकर प्राथमिकता तय कर कराया जाये एवं इसकी प्रगति से बोर्ड को अगली बैठक मे अवगत कराया जाये। इस हेतु एक प्रजेन्टेशन भी आगामी बैठक मे किया जावे। **सम्बन्धित अधिकरी** :– निदेशक अभियांत्रिकी–(I / II), निदेशक (आयोजना), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर एवं उपायुक्त पुलिस (यातायात) एवं अधिशाषी अभियन्ता–प्रथम, जविप्रा (नोडल अधिकारी)।

70.2	अशोक मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध मे।	विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। **सम्बन्धित अधिकरी** :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर ।
70.3	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये याचिका संख्या 1118/2011 के आदेश पर क्रियान्विति के सम्बन्ध मे ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जयपुर आटो चालक यूनियन के पदाधिकारियों को बैठक मे बुलाकर सुना गया तथा उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा पुलिस उपायुक्त (यातायात) की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक 12.06.2012 मे लिये गये निर्णयों के क्रम मे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा।	ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा एजेण्डे पर बिन्दुवार निम्नानुसार अनुशंषा की गई जिस पर सम्बन्धित विभाग (यातायात एवं परिवहन विभाग) से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर **कार्यवाही करेगें।**
	1. ऑटो रिक्शा की संख्या बढाने के सम्बन्ध मे पिछला निर्णय वर्ष 2007 मे किया गया था। वर्तमान मे ऑटो रिक्शाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो जयपुर शहर की जनसंख्या है उसका एक प्रतिशत तक इनकी संख्या बढाई जा सकती है। परन्तु प्रथम चरण मे यह संख्या 12000 से बढाकर 20000 तक की जा सकती। प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर इसका पुनः परीक्षण किया जाना चाहिये।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि ऑटो रिक्शाओं की संख्या प्रथम चरण मे 12000 से 20000 तक क्रमबद्व रूप से संख्या बढाने से पूर्व ऑटो स्टेण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की शर्त पर परिवहन विभाग को अनुशंषा की जावे।
	2. सार्वजनिक वाहनेां का सीएनजी से चलावाया जाना चाहिये और इनके लिये प्रकिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।	परिवहन विभाग द्वारा बोर्ड को अवगत किया गया है कि प्रकरण नीतिगत है तथा राज्य सरकार स्तर पर प्रकियाधीन है।

	3. जयपुर शहर मे बारह हजार संख्या से अधिक आटो रिक्शा के परमिट जारी किये जाने पर आगामी 5000 को डीजल एवं 3000 की एलपीजी के परमिट दिये जाने चाहिये।	बोर्ड द्वारा एल.पी.जी अथवा क्लीन फ्यूल यथा सी.एन.जी चलित ऑटो पर सहमति व्यक्त की गई एव प्रस्तावनुसार आयुक्त परिवहन विभाग से पूर्वानुमति लेकर एल.पी.जी के ही परमिट दिये जाने की शर्त पर सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
	4. ऑटो रिक्शा के परमिट जयपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा मे चलाये जाने के लिये ही दिये जाये।	बोर्ड द्वारा परमिट नगर निगम सीमा तक ही चलाये जाने की सिफारिश की जाती है।
	5. सभी प्रकार के नये सार्वजनिक वाहनों का पंजीयन दस वर्ष के लिये किया जाये। इसके बाद रिन्यूअल मात्र 5 वर्ष के लिये किया जावे। जिसके लिए भी प्रतिवर्ष पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि प्रकरण मे RTO/DCP (Traffic) / Addl. Transport Commissioner एवं NGO मुस्कान के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर इस सम्बन्ध मे उचित सुझाव प्रस्तुत किये जावे तथा आगामी बैठक मे बोर्ड को अवगत कराया जावें।
	6. सरकारी एवं गैर सरकारी, विभाग ऑटो रिक्शाओं के स्टेण्ड के लिये जमीन जनसुविधा हेतु उपलब्ध करवाये ताकि वहां आने वाली जनता को परेशानी ना हो ऑटो सडक पर खडे ना हो।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि ट्रैफिक पुलिस अलग से जविप्रा / नगर निगम के सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं उप नगर नियोजन के साथ स्थल चयन /ऑटो रिक्शाओं की संख्या आदि का निर्धारण कर अगली बैठक मे प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस कार्य हेतु यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आंवटित भूखण्ड से भी भूमि उपलब्धता के प्रयास किये जा सकते है। इस हेतु उपायुक्त पुलिस (यातायात) संस्थाओं की भूमि चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही करे।
	7. नये ऑटो रिक्शाओं के इलैक्ट्रानिक मीटर लगवाये जाये तथा जिन ऑटो रिक्शाओं का रिन्यूअल किया जाता है उन पर नया इलैक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने के बाद भी रिन्यूअल किया जावे। आई.एस.आई मार्क के ही इलैक्ट्रानिक मीटर लगवाये जाये।	बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये।

	8. नगर निगम सीमा क्षेत्र मे चलने वाले ऑटो एवं ग्रामीण क्षेत्र मे चलने वाले ऑटो रिक्शाओं का रंग अलग–अलग होना चाहिए।	बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये कार्यवाही किये जाने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये।
	9. सभी ऑटो रिक्शाओं मे जी.पी.एस सिस्टम लगाया जाये तथा कॉल सेन्टर स्थापित किये जाये। जिसमे ऑटो रिक्शाओं मे मूवमेन्ट को कन्ट्रोल किया जा सके।	बोर्ड द्वारा उपायुक्त पुलिस (यातायात) को इस बाबत सम्पूर्ण प्रस्ताव आगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
	10. ऑटो रिक्शाओं के चालकों विरूद्व यदि इस आशय की शिकायत आती है कि वे मीटर से नही चल रहे है तो उनका परमिट निलम्बन / निरस्त किया जावे।	बोर्ड द्वारा इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को अधिकृत किया।
	11. वर्तमान परिपेक्ष्य मे ऑटो रिक्शाओं को प्वाईन्ट टू प्वाईन्ट चलाया जाना संभव नही है।	बोर्ड को अवगत कराया गया।
	12. ऑटो रिक्शा प्रिपेड के लिये पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर की अध्यक्षता मे एक कमेटी बनी हुई है जिसमे ऑटो रिक्शा यूनियन के सदस्य भी शामिल है एवं इसके संचालन एव समस्या के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश जारी किये हुये है।	बोर्ड को अवगत कराया गया।
	13. ऑटो रिक्शाओं की पुरानी किराया दरो मे संशोधन कर नई किराये दरे दिनांक 23.09.11 को निर्धारित की जाकर वृद्वि की गई है।	बोर्ड को अवगत कराया गया।

	बोर्ड के समक्ष उठाये गये अन्य बिन्दु :–	
70.4	1. पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा जो भूमि लावारिस वाहनो को खडा करने के लिए चिन्हित की जाये, उस पर तारबन्दी भी करायी जावे।	बोर्ड द्वारा विद्याधर नगर एवं बगराना मे चिन्हित भूमि पर सहमति व्यक्त की गई तथा जविप्रा को भूमि चिन्हीकरण एवं तारबन्दी कराये जाने के निर्देश दिये गये। **सम्बन्धित अधिकारी** :– सचिव, निदेशक अभियांत्रिकी – I / II, जविप्रा, जयपुर।
70.5	2. पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा अवगत कराया गया है कि ट्रैफिक लाईट पेड की डालियॉ / पत्तियों से अवरूद्व होने के सम्बन्ध मे।	बोर्ड द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। **सम्बन्धित अधिकारी** :– निदेशक अभियांत्रिकी – I, जविप्रा, जयपुर।
70.6	3. प्राधिकरण की वेबसाईट पर ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड का लिंक उपलब्ध कराये जाने एवं समन्वय के सम्बन्ध मे।	बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये है कि ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड सम्बन्धित यथा ऐजेण्डा, मिनट्स एवं पालना रिपोर्ट हेतु जविप्रा की वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जाये। ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग एवं प्राधिकरण मे ट्रैफिक सम्बन्धित कार्य के समन्वय हेतु अधिशाषी अभियन्ता जोन–1, जविप्रा को नोडल अधिकारी बनाया जावे। **सम्बन्धित अधिकारी** :– सचिव, जविप्रा, जयपुर।

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

Secretary
Jaipur Development Authority,
Jaipur

(6)

Annexure 'A'

Following officers attended the 70th TCB meeting held on 20.07.12

1. Sh. O.P. Gupta , Secretary , JDA, Jaipur.
2. Smt. Lata Manoj Kumar , DCP. (Traffic), Jaipur
3. Sh. D.C. Janwara, Dir.(Finance), JDA, Jaipur.
4. Sh. J.B. Jakhar, Director T.P., JDA Jaipur
5. Sh. N.C. Mathur, Dir. Engg-I, JDA Jaipur.
6. Sh. Lalit Sharma Dir. Engg-II, JDA Jaipur.
7. Sh. V.S. Sunda, ACE, JDA Jaipur.
8. Sh. H.P Mishra, Addl. Transport Commissioner, Jaipur.
9. Sh. O.P. Sharma, Addl. DCP (Traffic), Jaipur.
10. Sh. B.L. Jatawat, RTO Jaipur.
11. Sh.Raj Kumar Sharma , Superintending Engineer Project-II, JDA, Jaipur.
12. Sh. Maqsood Ahmad, Superintending Engineer -IV, JDA.Jaipur.
13. Sh.J.N. Rawat, Superintending Engineer -PWD Jaipur.
14. Sh. R.C Agarwal, Executive Director (Traffic) RSRTC Jaipur.
15. Sh. Vishnu Kaushik, SDO, Jaipur.
16. Smt. Pravina Charan, Addl. Regional Transport Commissioner, Jaipur.
17. Sh. Mahesh Goyal Executive Engineer -1, JDA Jaipur.
18. Sh. Vinay Sharma, Executive Engineer (CD-IV), JVVNL, Jaipur.
19. Sh. J.P. Sharma, Addl. Director (Project) Jaipur Metro , Jaipur.
20. Sh. Pramod Bhasin, Muskan NGO, Jaipur
21. Mrs Mridul Bhasin, Muskaan NGO , Jaipur.
22. Sh. Dinesh Sharma , , Commissioner Vigilence, NNJ, Jaipur.
23. Sh. Ninit Jain, Assistant Engineer, PHED Jaipur
24. Smt. Usha Jain (PRO) JDA, Jaipur.

Copy forwarded to the following for information and necessary action

1. Hon'ble Mayor, Jaipur Nagar Nigam, Jaipur
2. Collector, Jaipur.
3. DIG, JDA, Jaipur.
4. Commissioner Rajasthan Housing Board, Jaipur.
5. Transport Commissioner, Rajasthan Jaipur
6. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
7. Managing Director, JMRCL, Jaipur.
8. Chief Executive officer, JNN, Jaipur.
9. DCP (Traffic) Jaipur
10. Chief Engineer, PWD, Jaipur.
11. Chief Engineer, PHED, Jaipur.
12. Chief Engineer, JVVNL, Jaipur.
13. Director (TP) JDA, Jaipur.
14. Director (Engineer-I/II), JDA, Jaipur
15. Director (Fin.) JDA, Jaipur.
16. Regional Transport officer, Jaipur.
17. Chairman NGO Muskan, Jaipur.
18. Joint Commissioner (System Management), JDA, Jaipur.
19. Supdt Engg. I/II/III/IV/ V/Elect/Pr-I/Pr-II/RRP/PDC-I/PDC-II JDA, Jaipur
20. AC (Land) JDA, Jaipur
21. Ex.En-1/ all, JDA, Jaipur
22. OSD (PRO) JDA, Jaipur
23. Sr PS to JDC, JDA,Jaipur
24. PS to Secy. JDA,Jaipur

No F(1) /JDA/MS/TCB/2012/D- 520

Dated:- 30.7.12

Secretary
Jaipur Development Authority,
Jaipur